न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास — मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या — 08/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1जेठमल पुत्र सुखेदव जाति माली फर्म–मैसर्स गणेश मिष्ठान भण्डार, बीदासर रोड, डेगाना। 2प्रसन्नचंद पुत्र स्व. हस्तीमल फर्म– ओसवाल एजेन्सीज, माहेश्वरी भवन के पास, डेगाना। 3वीरेन्द्र कुमार जोशी निवासी — ए 37, सांई बाबा मंदिर के पास, सुदर्शन नगर बीकानेर (राज.) फर्म–बीकाजी फूड इन्टरनेशनल लि. एफ 196–199 बीछवाल इन्ड. एरिया बीकानेर।

आदेश दिनांक :31.03.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 10.06.14 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत परिवाद को खारिज किये जाने बाबत पेश किया।

2. उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि —

2(1)– खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थी के विरूद्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तहत न्यायालय हाजा मे परिवाद दिनांक 20.02.14 को पेश किया गया।

2(2)– परिवाद मे प्रार्थी द्वारा अपराध का किये जाने का उल्लेख दिनांक 17.12.12 एवं नमूना अवमानक पाये जाने का उल्लेख 20.12.12 का उल्लेख किया है।

2(3)– खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 मे उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार अपराध होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर ही अपराध का प्रसंज्ञान किया जा सकता है। इस प्रकार परिवाद परिसीमा से बाहर प्रस्तुत गया है।

2(4)– परिसीमा की अवधि कह छूट लिये जाने हेतु कोई आवेदन आदि नही है। जिससे परिसीमा की अवधि को बढाया गया हो। परिसीमा से बाहर प्रस्तुत किया गया परिवाद प्रथम दृष्टया Maintainable नही है।

2(5)– खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मियाद के बाहर जाकर धारा — 77 के प्रावधानो के विपरीत प्रस्तुत किया है। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खारिज किये जाने योग्य है।

3–प्रार्थी ने अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए बताया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक 887 दिनांक 20.12.2012 के अनुसार अमानक स्तर का पाया गया है तथा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा पत्र क्रमांक 34 दिनांक 17.12.13 के अप्रार्थी के विरूद्व इस्तगासा प्रस्तुत करने के निर्देशो पर दिनांक 06.02.14 को यह इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है। गैर सायल द्वारा किया गया अपराध जुर्माना योग्य होने योग्य है।

4– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.14 एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे नमूना दिनांक 12.11.2012 को लिया जाना व परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 06.02.2014 को प्रस्तुत होना अभिलेख से प्रतीत होता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के अनुसार अपराध होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर ही अपराध प्रसंज्ञान लिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा परिवाद परिसीमा एक वर्ष के बाहर होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित आधारो पर प्रतीत होता है।

5–उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2014 स्वीकार किया जाता है। फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 06.02.2014 प्रसंज्ञान हेतु निर्धारित परिसीमा के पश्चात पेश होने से चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

6–आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)